



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1922] नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2019/आषाढ़ 5, 1941
No. 1922] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2019/ASHADHA 5, 1941

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2019

का.आ. 2134(अ).—विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए एक विकास तथा कल्याण बोर्ड की स्थापना हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 21.02.2019 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा श्री राम प्रसाद मीना, संयुक्त सचिव (बीसी) को विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास तथा कल्याण बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 16014/04/2018-बी.सी.-III]

तसनीम माजिद गनायी, निदेशक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2019

S.O. 2134(E).—In accordance of the Notification dated 21.02.2019 of Department of Social Justice and Empowerment regarding constitution of a Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities, as published in the Gazette of India Extra-ordinary Part-II, Section-3, Sub-Section (ii), the Central Government hereby appoints Shri Ram Prasad Meena, Joint Secretary (BC) as ex-officio Member on Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities.

[F. No. 16014/04/2018-BC-III]

TASNEEM MAAJID GANAI, Director